

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 27 / 2022

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. शांतिलाल पुत्र पारसमल जाति जैन निवासी मेहता हॉस्पिटल के सामने, भगतसिंह सर्कल, बालोतरा जिला बाड़मेर (मैसर्स महामंत्रा ट्रेडिंग क0, कृषि उपज मण्डी, बालोतरा जिला बाड़मेर का मैनेजर)
2. महावीर जैन पुत्र पारस मल जैन (मैसर्स महामंत्रा ट्रेडिंग क0, कृषि उपज मण्डी, बालोतरा जिला बाड़मेर का प्रोप्राईटर एवं खाद्य अनुज्ञापत्र धारक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं
मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 06.09.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान मैसर्स महामंत्रा ट्रेडिंग क0, कृषि उपज मण्डी, बालोतरा जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 21.08.2021 को एक कार्टून में लगभग 10 किग्रा रखा हुआ खाद्य पदार्थ घी (ओम गजानन्द 500 एमएल), को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500-500 एमएल के चार पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1396 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य घी (ओम गजानन्द 500 एमएल) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (ओम गजानन्द 500 एमएल) का नमूना अवमानक (Substandard) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी विधिक रूप से योग्यताधारक नहीं है तथा इस पद पर प्रार्थी की नियुक्ति वैध नहीं है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सैम्पल लेने का अधिकार नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की अनुपस्थिति में स्वतंत्र गवाहों के अभाव में सैम्पल लिए हैं जो कि विधिसम्मत नहीं हैं। साथ ही खाद्य पदार्थ के लिए गये सैम्पल सीलबन्द हालत में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य के अभाव में प्रकरण खारिज योग्य है। सैम्पल के मिथ्याछाप पाये जाने की स्थिति में सीजशुदा खाद्य पदार्थ संबंधित निर्माता को दुरुस्ती हेतु सुपुर्द किया जाना आवश्यक था फिर भी उक्त खाद्य पदार्थ को लम्बे समय तक रोककर रखने तथा निस्तारण का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थीगण के अधिकारों का हनन हुआ है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध परिवाद में कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 01.09.2021 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया। प्रयोगशाला जांच में B.R. Reading at 40⁰ C का मानक स्तर 40.0 to 43.0 के मुकाबले 43.8 तथा Reichert value का मानक स्तर Minimum 26.0 के मुकाबले 23.54 पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई टोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के साथ-साथ विनियमों की पालना के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम




खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 27/2022/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम शांतिलाल जैन व अन्य

एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 06 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रुपये 1,00,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर